

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-2, खण्ड (क) (उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, मंगलवार, 14 जुलाई, 2020 ई0 आषाढ़ 23, 1942 शक सम्वत्

> उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 186/XXXVI(3)/2020/31 (1)/2020 देहरादून, 14 जुलाई, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन माननीय राज्यपाल ने "उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) अध्यादेश, 2020" पर दिनांक 13 जुलाई, 2020 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अध्यादेश संख्या 9 वर्ष, 2020 के रूप में सर्व—साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या— १ वर्ष, 2020)

(भारत गणराज्य के इक्हतरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित) उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूंकि, राज्य की विधान सभा सन्त्र में नहीं है तथा राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है कि उन्हें तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निग्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ
- (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 है।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।
- (3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा राजपत्र में इस निमित्त नियत करें।

धारा 4 का संशोधन

- उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 4 में उपधारा (3) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात:—
 - "(ग) राज्य का राजकोषीय घाटा जी०एस०डी०पी० (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के 3 प्रतिशत की वार्षिक सीमा तक स्थिरता प्रंदान करने वाला होगा। वर्ष 2020—21 के लिये निम्नलिखित राज्य स्तरीय सुधारों को लागू करने पर राज्य को जी०एस०डी०पी० (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के 2 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा प्राप्त हो सकेंगी:—
 - (i) 0.50 प्रतिशत तक शर्तरहित वृद्धि।
 - (ii) 1 प्रतिशत वृद्धि 0.25 प्रतिशत के 04 अंशों में विभाजित होगी, जिसमें प्रत्येक अंश स्पष्ट रूप से निम्नलिखित विनिर्दिष्ट मापनीय (Measurable) सुधार से जुड़ा होगा:-
 - (क) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का क्रियान्वयन (0.25 प्रतिशत);

- (ख) ईज ऑफ डुईग बिजनेस सुधार (0.25 प्रतिशत);
- (ग) शहरी स्थानीय निकाय/यूटीलिटी सुधार (0.25 प्रतिशत);
- (घ) ऊर्जा क्षेत्र सुधार (0.25 प्रतिशत);

सुधार कार्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट- '1' एवं '2' में दिया गया है।

(iii) प्रस्तर— (ii) में दिये गये उपर्युक्त 04 सुधारों में से 03 को प्राप्त करने पर अवशेष 0.50 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त हो सकेगी।"

परिशिष्ट-'1'

- 1. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था का कियान्वयन यह व्यवस्था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लामार्थियों को राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। विशेषतः प्रवासी मजदूरों एवं उनके परिवारों को पूरे देश के अन्दर किसी भी Fair Price Shops (FPS) से राशन की सुविधा उपलब्ध कराते हुए अधिक से अधिक लामार्थियों को लाम पंहुचाने तथा फर्जी / दुप्लीकेट / अयोग्य कार्ड धारकों को हटाने में सहायक होगी। इस प्रकार यह कल्याण को बढावा देगी तथा लीकेज को कम करेगी। राशन कार्ड की निर्बाध अन्तर्राज्यीय पोर्टिबिलिटी को सुनिश्चित करने हेतु सभी राशन कार्डों की आधार सीडिंग कराये जाने के साथ ही साथ सभी Pair Price Shops (FPS) पर इलैक्ट्रोनिक प्वाइट ऑफ सेल (e-pos) को स्थापित करते हुए लामार्थियों का बायो—मैट्रिक प्रमाणीकरण आवश्यक होगा। इसलिये यह निर्णय हुआ है कि निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा किये जाने पर सकल घरेलू राज्य उत्पाद के 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी जायेगी—
 - (i) राज्य में सभी राशन कार्ड एवं लाभार्थियों की आधार सीडिंग ।
- (ii) राज्य में सभी Fair Price Shops (FPS) का ऑटोमेशन!
 राज्य को उपर्युक्त कार्य दिनांक 31.12.2020 तक पूरा कर लेना चाहिये। जो राज्य उक्त कार्य को पहले पूरा कर लेंगे या पूरा कर चुकें हैं, उन्हें तुरन्त अतिरिक्त उधार सीमा का लाभ उपलब्ध होगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इस हेतु नोडल विभाग होगा जो इस दिशा में राज्य की प्रगति का आंकलन करते हुए अतिरिक्त उधार सीमा हेतु संस्तुति देगा। उक्त संस्तुति व्यय विभाग (Dol2) को प्रेषित किये जाने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक 15.01.2021 होगी।
- 2. ईज ऑफ डुईंग बिजनेस का जिला स्तर पर कियान्वयन एवं लाईसेंसिग सुधार— ईज ऑफ डुईंग बिजनेस देश में निवेश अनुकूल व्यवसायिक वातावरण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है और ईज ऑफ डुईंग बिजनेस में सुधार भविष्य में राज्य अर्थ व्यवस्था की तीव्र उन्मति में सहायक होगा। इसलिए ईज ऑफ डुईंग बिजनेस का जिला स्तर पर कियान्वयन एवं लाईसेंसिंग सुधार को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देशय से यह निर्णय हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020—21 में सकल घरेलू राज्य उत्पाद के 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति निम्नलिखित सभी गतिविधियों को पूरा किये जाने पर दी जायेगी—
 - (i) उद्योग एवं अन्तरिक व्यापार प्रोन्नयन विभाग द्वारा सूचित "District Level Business Reform Action Plan" का प्रथम गूल्यांकन राज्य द्वारा पूरा कर लिया जायेगा।
 - (ii) उद्योग एवं अन्तरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग द्वारा परिचालित सूची में उपलब्ध अंकित विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों के सम्बन्ध में सर्टीफिकेट/अनुमोदन/लाईसेन्स के नवीनीकरण की आवश्यकता को राज्य सरकार द्वारा समाप्त कर दिया जायेगा (परन्तु स्वचालित गैर विभेदकारी तरीके से केवल तार्किक शुल्क वसूली की अनुमति होगी, यदि वह

पारदर्शी ऑनलाईन, गैर विभेदकारी तथा स्वचालित तरीके से किया गया हो।) अतिरिक्त उधार सीमा की अर्हता हेतु अनुलग्नक—2 में उल्लिखित गढ़ों के सम्बन्ध में नवीनीकरण की आवश्यकता को दिनांक 31.01.2021 तक समाप्त किया जाना चाहिये।

- (iii) अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग एवं अन्तरिक व्यापार प्रोन्नयन विभाग द्वारा परिचालित सूची के अनुसार राज्य द्वारा कम्प्यूटराईज्ड केन्द्रीकृत यादृष्टिक निरीक्षण प्रणाली को कियान्वित किया जायेगा, जिसमें निरीक्षण हेतु निरीक्षकों की तैनाती केन्द्रीय स्तर से की जायेगी। किसी इकाई का निरीक्षण एक ही निरीक्षक से आगासी वर्ष में नहीं कराया जायेगा। निरीक्षण की पूर्व सूचना सम्बन्धित व्यवसायी को उपलब्ध करायी जायेगी तथा निरीक्षण रिपोर्ट को अडतालिस (48) घटों के अन्दर अपलोड कर दिया जायेगा। पात्रता हेतु, कम से कम परिशिष्ट में उल्लिखित अधिनियम हेतु कम्प्यूटराईज्ड केन्द्रीकृत यादृच्छिक निरीक्षण प्रणाली को दिनांक 31.01.2021 तक पूर्ण किया जाना आवश्यक है। उद्योग एवं अन्तरिक व्यापार प्रोन्नयन विभाग अतिरिक्त उधारी की संस्तुति हेतु नोडल विभाग होगा इस हेतु अन्तिम तारीख 15.02.2021 होगी।
- 3. स्थानीय निकायों के सुद्धीकरण हेतु सुधार बेहतर लोक स्वास्थ्य एवं सफाई व्यवस्था के साथ ही अच्छे नागरिक बुनियादी ढ़ांचे को सक्षम बनाने के लिये, जो आर्थिक विकास एवं कल्याण को बढावा देते हैं, शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों एवं सुविधाओं को बढाये जाने की आवश्यकता होने के दृष्टिगत यह निर्णय हुआ है कि राज्य सरकार को निम्नलिखित सुधार कार्य किये जाने पर वित्तीय वर्ष 2020—21 में सकल राज्य धरेलू उत्पाद (GSDP) के 0.25 प्रतिशत तक अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमित होगी—
 - राज्य सरकार (क) राज्य शहरी स्थानीय निकायों हेतु सम्पत्ति कर के फ्लोर रेट्स, जो प्रचलित सर्किल रेट्स के अनुरूप हो (जैसे-सम्पत्ति अन्तरण की दर हेतु दिशानिर्देश), (ख) जल आपूर्ति, जल निकासी एवं सीवरेज के उपयोगकर्ता शुल्क, जो वर्तमान मूल्य/गल गुद्रा स्फीति पर आधारित हो, हेतु फ्लोर रेट्स के सम्बन्ध में प्रावधान अधिसूचित करेगी।
 - (ii) राज्य सम्पत्ति कर/उपयोगकर्ता शुल्क के फ्लोर रेट्स में मूल्य वृद्धि के अनुसार समय—समय पर वृद्धि किये जाने हेतु सिस्टम बनायेगा। इस सम्बन्ध में प्रगति का आकलन किये जाने एवं अतिरिक्त उधार सीमा की स्वीकृति दिये जाने हेतु आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, नोडल मंत्रालय होगा, जिसकी अन्तिम तारीख 15.01.2021 होगी।
- 4. <u>ऊर्जा क्षेत्र में सुधार</u> राज्य सरकार को तीव्र प्रणालीगत सुधारों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि डिस्कॉम कम्पनियों की तरलता समस्या का उन्मूलन के साथ ही सबसिडी का लाभ किसानों/लक्षित लामार्थियों को मिले तथा ऊर्जा क्षेत्र की हालत में सुधार हो। इस सम्बन्ध में निर्णय हुआ है कि निम्नलिखित गतिविधियों का कियान्वयन किये जाने की स्थित में अतिरिक्त उधारी सीमा की स्वीकृति प्रदान की जायेगी—

(i) राज्य हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान में कुल कमी के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.05 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी जायेगी।

(ii) राज्य में आपूर्ति की औसत लागत और औसत राजस्व प्राप्ति के बीच अन्तर (ACS-ARR gap) में कमी के लिये राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.05 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी जायेगी। (नोट-ACS-ARR के अन्तर की गणना में राज्य सरकार/ स्थानीय निकायों द्वारा शेष बकाया राशि को राजस्व से घटाया जायेगा।)

राज्य के सभी किसानों को दी जाने वाली मुफ्त बिजली के स्थान पर उन्हें प्रत्यक्ष लाम हस्तांतरण (DBI) शुरू करने के लिये राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.15 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमित दी जायेगी। राज्य सरकार द्वारा अगले वित्तीय वर्ष (2021–22) में ऐसी योजना बनायी जायेगी, जिसमें किसानों को मुफ्त बिजली के बजाय DBT के माध्यम से नकद हस्तांतरण किया जाय। जहां किसानों द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि से विद्युत शुल्क का भुगतान सीधे DISCOMS को किया जायेगा। उक्त से सम्बन्धित पात्रता प्राप्त किये जाने हेतु राज्य द्वारा (क) DBT योजना बनायी जायेगी और (ख) इस योजना को दिनांक 31.12,2020 तक कम से कम एक जिले में लागू किया जायेगा।

तकनीकी एवं वाणिज्यिक (AT&C) घाटे में कमी एवं आपूर्ति की औसत लागत और औसत राजस्व प्राप्ति के बीच अन्तर में कमी के आकलन का आधार जनवरी, 2021 में राज्य द्वारा की गयी स्वधोषणा होंगी। यद्यपि रवधोषित आंकडे एवं वास्तिवक प्राप्ति आंकडे के बीच किसी भी प्रकार की मिन्नता आगागी वित्तीय वर्ष में ऋण लेने के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। उक्त के सम्बन्ध में प्रगति का आंकलन करने और अतिरिक्त उधार सीमा की संस्तुति व्यय विभाग को किये जाने हेतु ऊर्जा मंत्रालय नोडल मंत्रालय होगा। व्यय विभाग (Doe) को संस्तुति प्रेषित किये जाने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 31.01.2021 होगी।

5. राज्य वित्तीय वर्ष 2020—21 में उपर्युल्लिखित 2 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा (पात्रता की सीमा के अन्तर्गत) का उपयोग कर सकेगा। इस सुविधा का उपयोग आगामी वर्षों हेतु अनुमन्य नहीं किया जा सकेगा।

परिशिष्ट- '2'

नवीनीकरण और केन्द्रीय निशेक्षण प्रणाली को हटाने का कार्यान्वयन— नवीनीकरण:—

- 1. दुकानों और प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत रिजस्ट्रीकृत
- 2. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के प्रावधान के तहत ठेकेदारों के लिए लाइसेंस
- 3. कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत लाइसेंस
- 4. विधिक माप विज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत रिजस्ट्रीकृत
- 5. अंतर्राज्य प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 के तहत स्थापना का रजिस्ट्रीकरण
- 6. दवा निर्माण / बिक्री / भंडारण लाइसेंस
- नगर निगमों द्वारा जारी ट्रेड लाइसेंस

निरीक्षण अन्तर्गत-

- 1. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- 2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम
- 4. बोनस संदाय अधिनियम, 1965
- 5. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
- 6. उपदान संदाय अधिनियम, 1972
- 7. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970
- 8. कारखाना अधिनियम, 1948
- 9. भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923
- 10. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974
- 11. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981
- 12. विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और नियमों के अन्तर्गत निरीक्षण

बेबी रानी मौर्य, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से, प्रेम सिंह खिमाल, सचिव।

No. 186/XXXVI(3)/2020/31 (1)/2020 Dated Dehradun, July 14, 2020

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Ordinance, 2020 (Uttarakhand Ordinance NO. 9 of 2020)

As assented to by the Governor on 13 July, 2020.

THE UTTARAKHAND FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020

(Uttarakhand Ordinance No. 9, 2020)

Promulgated by the Governor in Seventy first year of the Republic of India

ORDINANCE

further to amend The Uttarakhand Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005,

WHEREAS, State Legislative Assembly is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the 'Constitution of India', the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance-

Short title, Extent 1. and Commencement

- (1) This Ordinance may be called The Uttarakhand Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Ordinance, 2020.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Uttarakhand.
- (3) The provision of this ordinance shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf.

Amendment of Section 4

2.

- In section 4 of the Uttarakhand Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005, for clause (c) of subsection (3), the following clause shall be substituted, namely:
- "(c) The fiscal deficit of the State will provide stability to the annual limit of three percent of GSDP (Gross State Domestic Product). The State may get an additional limit of two percent of GSDP (Gross State Domestic Product) for the year 2020-21, subject to the implementation of the following State level reforms-
 - (i) Increase up to 0.50 percent without any condition.
 - (ii) 1 percent in four tranches of 0.25 percent with each tranche linked to clearly specified measureable reform as under:
 - (a) Implementation of One Nation One Ration Card System (0.25 percent);
 - (b) Ease of doing business reforms (0.25 percent);
 - (c) Urban Local Body/Utility reforms (0.25 percent);
 - (d) Power Sector reforms (0.25 percent);

The detailed description of reform action is given in Annexure-1 & 2.

(iii) Remaining 0.50 percent increase may be obtained on undertaking 3 out of the above 4 reforms given in para (ii)."

Annexure-619

- Implementation of One Nation One Ration Card System: This system will ensure availability of ration to beneficiaries under National Food Safety Act (NFSA) and other welfare schemes, especially the migrant workers and their families, at any Fair Price Shop (FPS) across the country, and enable better targeting of beneficiaries, elimination of bogus/duplicate/ineligible card holders. Thus it will enhance welfare and reduce leakage. To ensure scamless inter-state portability of a ration card, Aadhar seeding of all ration cards as well as biometric authentication of beneficiaries through automation of all Fair prices shops (FPSs) with installation of electronic point of sale (e-poS) devices are essential. Therefore, it has been decided to allow additional borrowing limit of 0.25 percent of GSDP on completion of both of the following actions:
 - (i) Aadhar Seeding of all the ration cards and beneficiaries in the state.
 - (ii) Automation of all the FPSs in the State.

The State Should complete the above mentioned actions by 31st December, 2020. The States which complete them earlier, or have already completed them, can seek additional borrowing limit immediately, Department of Food and public Distribution will be the nodal Ministry to assess the progress of the State and recommend release of additional borrowing limit. The last date for recommendation to reach Department of expenditure (DoE) is 15th January, 2021.

- 2. <u>Implementation of District Level and Licensing Reforms for Ease of Doing Business:</u> Ease of Doing Business is an important indicator of investment friendly business climate in the country and improvements in ease of doing business will enable faster future growth of the state economy. Therefore, in order to incentivize implementation of district level and licensing reforms for ease of doing business it has been decided to allow additional borrowing limit of 0.25 percent of GSDP for the year 2020-21 on undertaking all the following actions by the State Government:
 - i. The State will complete the first assessment of 'District Level Business Reform Action Plan' as intimated by Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT).
 - requirements of renewai eliminate the will ii. The State certificates/approvals/Licenses obtained by businesses for various activities from the authorities at the State level as per list circulated by DPIIT. (However, mere collection of reasonable fees with automatic nondiscretionary deemed renewal will be permissible if done in a transparent online, non-discretionary & automatic manner.) To become eligible, climination of renewal at least of the specific items mentioned in the Annexure-2 should be completed by 31st January, 2021.

iii. The State will implement computerized central random inspection system under the Acts as per list circulated by DPIIT wherein allocation of inspections inspectors is done centrally, the same inspector is not assigned to the same unit in subsequent years, prior inspection notice is provided to business owner, and inspection report is uploaded within 48 hours of inspection. To become eligible, implementation of computerized central random inspection system at least under the Acts mentioned in the Annexure-2 should be completed by 31st January, 2021.

DPIIT will be the nodal ministry to assess the progress and recommend the release of additional borrowing. The cut-off date for this will be 15th February, 2021.

3. Reforms for Strengthening local Bodies: To enable better public health and sanitation as well as provision of good civic infrastructure, which in turn promote economic growth and well-being, there is a pressing need to augment resources of urban local bodies (ULBs) and urban utilities, it has been decided to allow additional borrowing limit of 0.25 per cent of GSDP for the year 2020-21 on undertaking the following reforms by the State Government:

The State Government will notify (a) floor rates of property tax in ULBs which are in consonance with the prevailing circle rates (i.e. guideline rate for property Transactions) and (b) floor rates of user charges in respect of the provision of water-supply, drainage and sewerage which reflect current costs/past inflation.

(ii) The State will put in place a system of periodic increase in floor rates the property tax/user charges in line with prices increases.

Ministry of Housing and Urban Affairs will be the nodal ministry to assess the progress and recommend the release of additional borrowing limit. The cut-off date for this will be 15th January, 2021

4. Power Sector Reforms: Robust Systemic reforms are required to be undertaken by the State governments to ensure that the subsidies reach farmers/ intended beneficiaries without leakage and to improve the health of the power sector, in addition to alleviating the liquidity stress of the DISCOMS. It has been decided to allow additional borrowing limit for the following actions in the manner given below:

(i) For reduction in Aggregate Technical & Commercial losses in a State as per targets, an additional borrowing limit of 0.05 percent of its GSDP shall be allowed.

(ii) For reduction in the gap between Average cost of supply and Average Revenue Realization (ACS-ARR gap) in a State as per targets, an additional borrowing limit of 0.05 percent of its GSDP shall be allowed. [Note: In calculating the ACS-ARR gap, amounts remaining unpaid by state Government/local bodies shall be deducted from the revenues.]

(iii) For introduction of direct Benefit Transfer to all farmers in a states in lieu of free electricity given to them, additional borrowing limit of 0.15 percent of its GSDP shall be allowed. The State Government should put in place a scheme whereby from the next financial year (2021-22), cash is transferred to the farmers through DBT instead of free electricity being provided to them, where as charges of the electricity are paid to the DISCOMs by farmers directly from the amounts given to them. To become eligible, the state should (a) formulate the DBT schemes and (b) implement this scheme at least in one district by 31st December, 2020.

The assessment of reduction in AT&C losses and in the ACS-ARR gap will be based on self declaration by the state Government in January, 2021. However, any major variation between this self declared figure and actual realization assessed later on, may affect the borrowing entitlement adversely in the subsequent financial year (s). Ministry of power would be the nodal ministry to assess the progress and recommend the release of additional borrowing to DoE. The last date for recommendation to reach DoE is 31st January, 2021.

5. The state shall exhaust the aforesaid additional borrowing of 2 percent during the year 2020-21 (to the extent eligible) and it will not be allowed to carry forward to the subsequent years.

Annexure-'2'

Implementation of removal of renewals and central Inspection System

Renewals of:

- 1. Registration under shops & Establishment Act
- 2. License for contractors under provision of the Contracts Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970
- 3. License under The Factories Act, 1948
- 4. Registration Under Legal Metrology Act
- 5. Registration of establishment under the Inter State Migrant workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979
- 6. Drug Manufacturing/Selling/Storage License
- 7. Trade License issued by Municipal Corporations.

Inspections under:

- 1. The Equal Remuneration Act, 1976
- 2. The Minimum wages Act, 1948
- 3. The Shops and Establishments Act
- 4. The Payment of Bonus Act, 1965
- 5. The Payment of Wages Act, 1936
- 6. The Payment of Gratuity Act, 1972
- 7. The Contract Labours (Regulation and Abolition) Act, 1970
- 8. The Factories Act, 1948
- 9. The Indian-Boilers Act, 1923
- 10. The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974
- 11. The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981
- 12. Inspection under Legal Metrology Act, 2009 and Rules.

BABY RANI MAURYA, Governor, Uttarakhand.

By Order,

PREM SINGH KHIMAL, Secretary.

